संख्या-27/2026/2820/001-1919897

प्रेषक,

रंजन कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर, 2026**

विषय:- महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1139/7041/2026-27/लेखा दिनांक 08.10.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्षक 2210-05-101-06-03 के मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0-750.00 लाख (रूपया सात करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सवीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृतियां किसी अन्य योजना में शामिल तो नहीं हैं।

(4) किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए निदेशक, आयुर्वेद सेवायें/संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं इसका पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(7) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा अवशेष धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र पत्रावली में रक्षित कर आगामी किश्त प्रस्तावित करने के साथ शासन को उपलब्ध करायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 033 **लेखा शीर्षक** 2210051010603 आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-161-X-2026-27, दिनांक 02.11.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रंजन कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-27/2026/ 2820 /001-1919897, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, गोरखुपर।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) कुल सचिव, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बजरंगी मौर्या
अनु सचिव।